म-संख्या—304

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 17 दिसम्बर, 2003

अग्रहायण 26, शक सम्वत् 1925

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1823/सात-वि-1—1—(क)18-2003

लखनऊ, 17 दिसम्बर, 2003

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 16 दिसम्बर, 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2003)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) यह 30 मई, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 में नई धारा 125-क का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 125 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

सहकारी चीनी मिलों के सम्बन्ध में विशेष प्राविधान

"125-क (1) (क) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध या उसके अधीन बनाये गये नियम या सम्बन्धित समिति के उपविधियों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी अन्य बात के होते हुये भी, जहां निबन्धक की राय में ऐसी सहकारी चीनी मिल, जिसमें अधिकांश अंशपूंजी राज्य सरकार द्वारा धृत है, रुग्ण है या हो चुकी है, और उसके पुनरुद्धार की कोई सम्भावना नहीं है, वहाँ निबन्धक, राज्य सरकार और वित्त पोषक बैंक या वित्त पोषक संस्था, यदि कोई हो, जिसकी वह चीनी मिल ऋणी हो, से परामर्श करने के पश्चात्, सम्बन्धित समिति को लिखित नोटिस द्वारा, जिसमें ऐसे विवरण उल्लिखित होंगे जैसे विहित किये जायं और ऐसी अवधि के भीतर जैसी नोटिस में विनिर्दिष्ट की गयी हो, उसके आस्तियों या उसके आस्तियों और दायित्वों का पूर्णतः या अंशतः किसी अन्य समिति या कम्पनी या फर्म या निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, ऐसे निबन्धन और शर्तों जैसी विहित रीति से निर्धारित किये जायं, के अंतरण की अपेक्षा करेगा और ऐसे अन्तरण पर, ऐसी चीनी मिल के लिये इस अधिनियम के अधीन बनाई गई समिति भंग हो जायेगी।

(ख) यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर समिति, निबंधक द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहती है, तो वह, समिति की सामान्य निकाय, ऐसी समिति की कमेटी तथा उसके ऋणदाताओं को उत्तर प्रदेश गजट में अधिसूचित आदेश द्वारा प्रत्यावेदन यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिये विहित रीति से अवसर प्रदान करने के पश्चात् खण्ड (क) में निर्दिष्ट रीति से समिति के पूर्णतः या अंशतः आस्तियों या आस्तियों और दायित्वों के अंतरण के लिये निदेश जारी करने सहित मामले में ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार नियम बनाने, और निबन्धक को ऐसे निदेश जैसा वह उचित समझे, देने के लिये सक्षम होगी।"

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिये "कम्पनी" का तात्पर्य, कम्पनी अधिनियम, 1956 में यथापरिभाषित कम्पनी से है।"

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 एतदद्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 2003

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2003

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार की समादत्त अंशपूँजी, ऋणों और सरकारी गारन्टियों का प्रभावी और अधिकतम भुगतान/उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया कि किसी सहकारी चीनी मिल, जिसमें अधिकांश अंशपूंजी राज्य सरकार द्वारा धृत है, और जो रुग्ण हो गयी हो और जिसके पुनरुद्धार की कोई सम्भावना नहीं हो, की आस्तियों और दायित्वों का पूर्णतः या अंशतः अंतरण करने की शक्ति सम्बन्धित निबन्धक में निहित करने और उसके सम्बन्ध में नियम बनाने और निबन्धक को निदेश देने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश सहाकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966) को संशोधित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 मई, 2003 को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2003) प्रख्यापित किया गया।

उपर्युक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक अपरिहार्य कारणों से दिनांक 2 सितम्बर, 2003 को प्रारम्भ हुए विधान मण्डल के सत्र में पुरःस्थापित नहीं किया जा सका। चूंकि उक्त अध्यादेश का प्रवर्तन विधान मण्डल के सत्रारम्भ से छः सप्ताह की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अर्थात् 13 अक्टूबर, 2003 के पश्चात् समाप्त होने वाला था, अतः यह विनिश्चय किया गया कि उपर्युक्त अध्यादेश को दूसरे अध्यादेश से प्रतिस्थापित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर, 2003 को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 2003) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश संख्या 23 सन् 2003 को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
आर० बी० राव,
प्रमुख सचिव।

No. 1823(2)/VII-V-1–1(KA)18-2003

Dated Lucknow, December 17, 2003

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samiti (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2003 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2003) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 16, 2003.

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2003

(U.P. Act No. 10 of 2003)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies, Act, 1965.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 2003. Short title and commence-ment

(2) It shall be deemed to have come into force on May 30, 2003.

Insertion of new section 125-A in U.P. Act no. 11 of 1966

2. *After* section 125 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *inserted* namely :—

Special provision in respect of Co-operative Sugar Mills

"125-A (1) *(a)* Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act or the rules made thereunder or the bye-laws of the societies concerned or in any other law for the time being in force, where, in the opinion of the Registrar, a Co-operative Sugar Mill in which majority of the shares are held by the State Government, is or has become sick and that there is no possibility to rehabilitate the same, the Registrar shall, after consulting the State Government and the financing Bank or financing institution, if any, to which such sugar mill is indebted, call upon the committee concerned by notice in writing containing such particulars as may be prescribed and within such time as may be specified in the notice to transfer its assets or its assets and liabilities, in whole or part, to any other society or a company or a firm or a body, whether incorporated or not, on such terms and conditions as may be formulated in the manner prescribed, and on such transfer, the society formed for such sugar mill under this Act shall stand dissolved.

(b) If, within the time specified in the notice referred to in clause *(a)*, the society fails to comply with the direction of the Registrar, he shall after giving an opportunity in the manner prescribed, to the general body, the committee of such society and the creditors thereof to make their representation, if any, by order notified in the Uttar Pradesh *Gazette*, take such action as he deems fit in the matter, including the issue of a direction to the society to transfer its assets or its assets and liabilities, in whole or in part in the manner referred to in clause *(a)*.

(2) It shall be competent for the State Government to make rules and to give such directions as it may deem fit to the Registrar, for the purposes of this section."

Explanation :— For the purpose of this section "company" means a company as defined in Companies Act, 1956."

Repeal and savings

3. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) (Second) Ordinance, 2003 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 23 of 2003

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Corporative Societies (Second Amendment) Ordinance, 2003 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times. U.P. Ordinance no. 15 of 2003

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to ensuring effective and optimum payment/utilization of paid up shares of the State Government, loans and Government guarantees it was decided to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 (U.P. Act no. 11 of 1966) to provide for vesting of power in the concerned Registrar of transferring assets and liabilities in whole or in part of a co-operative sugar mill in which the majority of the shares are held by the State Government, and which has become sick and there is no possibility of rehabilitating it and for empowering the State Government to make rules and to give directions to the Registrar with respect thereto.

Since the State legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Ordinance, 2003 (U.P. Ordinance no. 15 of 2003) was promulgated by the Governor on May 30, 2003.

The replacing Bill of the aforesaid Ordinance could not be introduced in the session of the State Legislature commenced on September 2, 2003 due to unavoidable reasons. Since the enforcement of the aforesaid Ordinance was to expire on expiry of the period of six weeks from the commencement of the session of the State Legislature *i.e.* after October 13, 2003, it was decided to replace the aforesaid Ordinance by another Ordinance.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Cooperative Societies (Second Amendment) (Second) Ordinance, 2003 (U.P. Ordinance no. 23 of 2003) was promulgated by the Governor on October 13, 2003.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance no. 23 of 2003.

By order,

R. B. RAO,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 751 राजपत्र (हिन्दी)–(1800)–2003–597–(कम्प्यूटर / आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 207 सा० विधा०–(180)–2003–850–(कम्प्यूटर / आफसेट)।